66

(रक्षा विभाग)

(सीमा सड़क विकास मंडल)

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.नि.आ. **44**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण रिजर्व इंजीनियर बल [निदेशक (प्रशासन) तथा संयुक्त निदेशक (प्रशासन)] भर्ती नियम, 2003 तथा साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (गैर-तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सड़क सगठन मे (प्रशासनिक कैडर) समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, प्रशासनिक अधिकारी कैडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक (प्रशासन)	2• (2017) • कार्यभार के आधर पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 13	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे संयुक्त निदेशक (प्रशासन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'एफ' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – सदस्य 3. महानिदेशक, सीमा सड़क – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	19* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 12	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 के वेतनमान में पॉच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'ई' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा,	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – सदस्य 3. महानिदेशक, सीमा सड़क – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

1	2	3	4	5	6
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	56* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, व 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के वेतनमान में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के लिए स्तर 'डी' या समकक्ष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या सीमा सड़क संगठन की प्रशिक्षण एकेडमी या स्कूल से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या वैधानिक या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर** बनेगी:– 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – अध्यक्ष 2. उप–महानिदेशक (कार्मिक), सीमा सड़क महानिदेशालय – सदस्य 3. निदेशक अथवा उप–सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जो:– (क) (I) मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हों , या (II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 या समकक्ष के वेतनमान में मूल काडर / विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव रखते हों :– (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। (II) प्रशासन व स्थापना, नकदी व लेखा, कार्य तथा खरीद की हैण्डलिंग, आपूर्ति व स्टोर प्रबंधन सहित, के क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्य अनुभव। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा भी शामिल) की अवधि भी शामिल है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

1	2	3	4	5	6
4.प्रशासनिक अधिकारी	53• (2017) •कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 10	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणः– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमालच प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी–उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

7	8	9	10
अनिवार्य: (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक। (II) सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय / वैधानिक संस्थान में लेखा, प्रशासन व स्थापना कार्यों में 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर / प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए, शिथिल की जा सकती है।	आयु – नहीं। शैक्षिक योग्यता – हां।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व प्रोन्नत होने वालों के लिए दो वर्ष।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, व ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति : ऐसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना तथा लेखा के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** : केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :– (क) (I) मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं ; या (II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 के वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो ; या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :–** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सीमा सड़क संगठन के कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव – सदस्य 4. महानिदेशक, सीमा सड़क – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–** 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – अध्यक्ष 2. उप–महानिदेशक कार्मिक, सीमा सड़क महानिदेशालय – सदस्य 3. निदेशक अथवा उप–सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(III) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 के वेतनमान में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो ; और (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव रखते हों। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[फा. सं. बी.आर.डी.बी. / 01 / 1029 / 2010 / जीई–1(पीसी–03) / 263 / 2017 / रक्षा नियुक्तियां]

दलपत सिंह, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF DEFENCE)

(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 6th June, 2017

S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Reserve Engineer Force Director (Administration) and Joint Director (Administration) Recruitment Rules, 2003 and General Reserve Engineer Force (Non-Technical Officers) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts (Administrative Cadre) in the Ministry of Defence, General Reserve Engineer Force, Border Roads Organisation, namely :-

1. **Short title and commencement** – **(1)**These rules may be called the Ministry of Defence, Border Roads Organisation, General Reserve Engineer Force, Administrative Officer Cadre, Group 'A' posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, Classification and Level in the Pay Matrix** – The number of said posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director (Administration)	2* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 13	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Joint Director (Administration) in Level 12 in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade and has successfully completed training of level 'F' for Central Secretariat Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training academy or school of Border Roads Organisation. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for	**Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Secretary, Border Roads Development Board - Member 3. Director General Border Roads - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Joint Director (Administration)	19* (2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 12	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Administrative Officer in Level 11 in the Pay Matrix with [illegible] regular service in the grade and has successfully completed training of the level 'E' for Central Secretariat Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training academy or school of Border Roads Organisation. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of :** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, Border Roads Development Board - Member 3. Director General Border Roads - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Administrative Officer.	56* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	50% by promotion, and 50% by deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion: Administrative Officer in Level 10 in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade and has successfully completed training of the level 'D' for Central Secretariat Service Officers or Equivalent from Institute of Secretariat Training and Management, Delhi or Training in the training academy or school of Border Roads Organisation **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along - with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Deputation** (including short-term contract): Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertaking or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :- (A) i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ Department; OR ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 10 in the Pay Matrix or Equivalent in the parent cadre/Department; and (B) possessing the following Educational Qualifications and Experience:- (i) Degree from a recognised University. (ii) Five years' working	**Group 'A' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of:-** 1. Secretary, Border Roads Development Board - Chairman 2. Deputy Director General (Personnel), Directorate General Border Roads -Member 3. Director or Deputy Secretary, Border Roads Development Board -Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contrac).

experience in the field of administration and establishment including handling of cash and accounts, works and purchase, supply and management of stores. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Administrative Officer.	53*. (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10.	Selection.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Degree from a recognised University/Institute. (ii) Three years' experience of Accounts, Administration and establishment work in a	Age : No. Educational **Qualifications** :- Yes.	Two years for direct recruits and	50% by promotion failing which by Deputation, 50% by Direct

Government Office/Public Sector Undertaking/Autonomous Body/ Statutory Body. **Desirable:** Master's of Business Administration/Post Graduate Diploma in Management. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		promotees.	Recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Administrative Officer in Level 7 in the Pay Matrix with three years regular service in the Grade and successfully completed training of four weeks in the field of administration, establishment and accounts. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central/State Governments/Union Territories; (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee:** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman 2. Secretary, Border Roads Development Board -Member 3. Joint Secretary dealing with the Border Roads Organisation in the Ministry of Defence - Member 4. Director General Border Roads - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee:** 1. Secretary, Border Roads Development Board - Chairman 2. Deputy Director General (Personnel), Directorate General Border Roads - Member 3. Director or Deputy Secretary, Border Roads Development Board - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.